



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/29/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं.: 45/2025

दिनांक : 25.09.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा जारी रिक्ति परिपत्र CCU/01/2025 दिनांक 08.05.2025 के फलस्वरूप जारी स्थापना आदेश CCU-64/2025 दिनांक 19.08.2025 की अनुपालना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण के उपरांत प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Hitesh Kumar	20.09.1996	On joining (On Deputation)	CGST, Alwar

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 25.09.2025 (अपरान्ह) में कार्यभार मुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., अलवर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेब मास्टर – जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

New Central Revenue Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur – 302005 (Raj.)

Phone: 0141-2385155; Fax: 0141-2385130, E-Mail: ccu-cexjpr@nic.in,

Website: www.cgstjaipur.gov.in, Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE